FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ बनाम गोपी

करम मुकदमा .... नं0 76/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature]	u/s 136 LR Act [signature]
12.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारो ने अपनी आराजी में हिस्से नही होने से बताया की उनके सभी यह खातेदारो ने आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है। ग्राम सोनगर आराजी संख्या 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, किता 9 रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि में गोपी 1/12 भोलीराम 1/12 पिता मियाचन्द, पन्ना 1/18 बरदीचंद 1/18 होकमा 1/18	चाँदमल रेगर होकमा कालुराम ऊंकार लाल रेगर [thumb impression] गोपी [signature] (बरदीचन्द) [thumb impression] [illegible] [illegible] द. [illegible] [thumb impression]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पिता देवा, भंवरलाल 1/24 ~~पिता शिवलाल~~ रतनलाल 1/24
सोहनलाल 1/24 पिता मज्जा नानीबाई बेवा मज्जा द: 5 को
1/24 कालु 1/18 चांदमल 1/18 पिता जोधा
मदनलाल 2/45 ऊंकारलाल 2/45 सजनाबाई 2/45 पिता रतनलाल
हीरालाल भंवरीबाई पत्नि हीरालाल 2/45 कैलाश माता
बदामबाई 2/45 अमरा 1/18 बालू 1/18 पिता मोड़ा, मेघराज
1/72 नन्दुबाई 1/72 तलकुबाई 1/72 पिता पोखर, मानीबाई
पत्नि पोखर 1/72 रेगर सा. पीपलीखेड़ा खातेदार।
हमने यह हिस्से व खातेदारों द्वारा बताये गये हिस्से मजमें
आम में रखा गया जिसमे उन्होने भी इसी
हिस्से पर सहमति प्रकट की गई।

अतः सह खातेदारो की सहमति
व तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP के तहत
माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश / परिपत्र /
क्रमांक / BR / LR / NLRMPF- 126 / पार्ट 2 / 10164-
96 दिनांक 26.9.2017 के अनुसार उनके पूर्व वर्णित
हिस्से के अनुसार खातेदारी घोषणा की
जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया
जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

मानीबाई
रतनलाल
सोहनलाल
~~मज्जा~~
कैलाश

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 76 / 2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. गोपी पिता मियाचंद्र रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
2. भोलीराम पिता मियाचंद्र रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
3. पन्ना पिता देवा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
4. बरदीचन्द पिता देवा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
5. होकमा पिता देवा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
6. भंवरलाल पिता भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
7. रतनलाल पिता भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
8. सोहनलाल पिता भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
9. नानीबाई बेवा भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
10. कालु पिता जोधा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
11. चांदमल पिता जोधा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
12. मदनलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
13. उँकारलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
14. सजनाबाई पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
15. भंवरीबाई पत्नि स्व. हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
16. कैलाश माता स्व. बदामबाई रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
17. अमरा पिता मोडा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
18. बालु पिता मोडा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
19. मेघराज पिता पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा ा तह0 बेगूँ
20. नन्दुबाई पिता पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
21. तलकुबाई पिता पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
22. मानीबाई पत्नि पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
23. मदनलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
24. उँकारलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
25. सजनाबाई पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
26. भंवरीबाई पत्नि स्व. हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
27. कैलाश माता स्व. बदामबाई रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ

................प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 27

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश / परिपत्र / कमांक / बीआर / एलआर / एन.एल. आर.एम.पी. / एफ–126 / पार्ट–2 / 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

----लगातार

Scanned by CamScanner

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

. वाद पत्र में तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्रांक 1224 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम किशोरपुरा में खाता संख्या 37 संम्वत 2073–76 में दर्ज आराजी नम्बर 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता– 9 रकबा 0.60 हैक्टर श्री गोपी भोलीराम पिता मियाचन्द वगैरा जमबांदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम किशोरपुरा में वाद वर्णित आराजी किता– 9 रकबा 0.60 हैक्टर उनकी सामलाती पैतृक भूमि है। एवं काना जी के वारिसान के छः पुत्रो मोडा मियाचन्द डालु देवा भज्जा जोधा के नाम से दर्ज हुई है, जिसमें प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। मोडा मियाचन्द डालु देवा भज्जा जोधा के फोत होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। मांगीलाल पिता डालु द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा का बेचान जो 1/6 है, मदनलाल ऊँकारलाल, सजनाबाई पिता हीरालाल , भंवरबाई पत्नि हीरालाल, कैलाश माता स्व. बदामबाईरेगर को किया है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो के बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किए गए। सजरे में दर्ज हिस्से को घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता– 9 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि मियाचन्द देवा भज्जा जोधा पिता काना, अमरा पोखर बालु पिता मोडा मांग्या पिता डालू बोला साकिन पीपीलीखेडा खातेदार के नाम दर्ज है। मियाचन्द देवा के बजाय गोपी भोलीराम पिता मियाचन्द्र देवा के बजाय पन्ना, बरदीचंद्र, होकमा पिता देवा , भज्जा के बजाय भंवरलाल, रतनलाल, सोहनलाल पिता भज्जा , नानीबाई बेवा भज्जा, जोधा के बजाय कालू, चांदमल पिता जोधा, मदनलाल ऊँकारलाल सजनाबाई पिता हीरालाल, भंवरीबाई पत्नि स्व. हीरालाल, कैलाश माता बदामबाई , पोखर के बजाय मेघराज ,नन्दुबाई, तलकुबाई पिता पोखर, नानीबाई पत्नि पोखर नामान्तरण संख्या 231 से मांग्या पिता डालू के बजाय हीरालाल पिता जोघा रेगर सा. पीपलीखेडा के नाम दर्ज हुआ है। मजमेंआम में सजरा अनुसार खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी किता–9 रकबा 0.60 हैक्टर सामलाती आहराजी है उक्त आराजी कानाजी की होकर उसके 6 पुत्रो मोडा, मियाचन्द, डालू, देवा, भज्जा, जोधा के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है जो सही है। मांगीलाल पिता डालू का निहित हिस्सा जो 1/6 बनता है का बेचान हीरालाल पिता जोधा रेगर सा. पीपलीखेकडा को किया गयां। हीरालाल ने भूमि कय की है इसलिए हीरालाल के वारिसान का नाम वतमान जमाबंदी में दुबारा आ रहा है। अतः मजमेंआम में प्राप्त जानकारी व

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौडगढ़)

लगातार

Scanned by CamScanner

पक्षकारो की सहमति से मौजा किशोरपुरा की आराजी नं. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता– 9 रकबा 0.60 हैक्टर में हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी संख्या 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता– 9 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि में गोपी 1/12, भोलीराम 1/12, पिता मियाचन्द्र, पन्ना 1/18, बरदीचंद्र 1/18, होकमा 1/18, पिता देवा, भंवरलाल 1/24, रतनलाल 1/24, सोहनलाल 1/24, पिता भज्जा, नानीबाई बेवा भज्जा 1/24, कालु 1/18, चांदमल 1/18, पिता जोधा , मदनलाल 2/45, उॅकारलाल 2/45, सजनाबाई 2/45, पिता हीरालाल, भंवरीबाई पत्नि हीरालाल 2/45, कैलाश माता बदामबाई 2/45, अमरा 1/18, बालू 1/18 पिता मोडा, मेघराज 1/72, नन्दुबाई 1/72, तलकूबाई 1/72, पिता पोखर , मानीबाई पत्नि पोखर 1/72 रेगर साकिन पीपलीखेडा खातेदार के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12.7.19

(रमेश सीरवी मुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

-----लगातार

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 76/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

......................वादी

बनाम

1. गोपी पिता मियाचंद्र रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
2. भोलीराम पिता मियाचंद्र रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
3. पन्ना पिता देवा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
4. बरदीचन्द पिता देवा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
5. होकमा पिता देवा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
6. भंवरलाल पिता भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
7. रतनलाल पिता भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
8. सोहनलाल पिता भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
9. नानीबाई बेवा भज्जा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
10. कालु पिता जोधा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
11. चांदमल पिता जोधा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
12. मदनलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
13. उँकारलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
14. सजनाबाई पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
15. भंवरीबाई पत्नि स्व. हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
16. कैलाश माता स्व. बदामबाई रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
17. अमरा पिता मोडा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
18. बालु पिता मोडा रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
19. मेघराज पिता पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
20. नन्दुबाई पिता पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
21. तलकुबाई पिता पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
22. मानीबाई पत्नि पोखर रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
23. मदनलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
24. उँकारलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
25. सजनाबाई पिता हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
26. भंवरीबाई पत्नि स्व. हीरालाल रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ
27. कैलाश माता स्व. बदामबाई रेगर निवासी पीपीलीखेडा तह0 बेगूँ

................प्रतिवादीगण

(सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ की मुहर)

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी संख्या 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता– 9 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि में गोपी 1/12, भोलीराम 1/12, पिता मियाचन्द्र, पन्ना 1/18, बरदीचंद्र 1/18, होकमा 1/18, पिता देवा, भंवरलाल 1/24, रतनलाल 1/24, सोहनलाल 1/24, पिता भज्जा, नानीबाई बेवा भज्जा 1/24, कालु 1/18, चांदमल 1/18,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

पिता जोधा , मदनलाल 2/45, उँकारलाल 2/45, सजनाबाई 2/45, पिता हीरालाल, भंवरीबाई पत्नि हीरालाल 2/45, कैलाश माता बदामबाई 2/45, अमरा 1/18, बालू 1/18 पिता मोडा, मेघराज 1/72, नन्दुबाई 1/72, तलकूबाई 1/72, पिता पोखर , मानीबाई पत्नि पोखर 1/72 रेगर साकिन पीपलीखेडा खातेदार के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

12-7-19

(रमेश [illegible]डिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner